(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1014—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21.3.16 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार सबलगढ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 49/अ—6/2014—15.

.....

1—सोठो उर्फ सोनो बेवा बनवारी लाल रावत
निवासी ग्राम सराय तहसील
सबलगढ जिला मुरैना म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती बैजन्ती पत्नी टुण्डा रावत
निवासी ग्राम सराय तहसील
सबलगढ जिला मुरैना म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री लखन सिंह धाकड, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 01—06-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील सबलगढ जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश 21.3.16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी ग्राम सराय की नामांतरण पंजी कमांक 7 दिनांक 20.8.15 से केता अनावेदक श्रीमंती बैजन्ती पत्नि टुण्डा रावत निवासी सराय ने विकेता मु0 सोठी उर्फ सोनो बेवा बनवारी रावत निवासी सराय में स्थित सर्वे कमांक किता.

13 कुल रकवा 2.73 है0 में से अपने हिस्से 1/9 की संपूर्ण भूमि 0.303 आरे कय की है। विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पर सोठो उर्फ सोनो द्वारा आपत्ति किये जाने से विबादित होकर न्यायालय तहसीलदार सबलगढ के यहां प्रस्तुत की गई। आवेदक की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य हेतु लगाया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका के पति स्वर्गीय बनवारी रावत की मृत्यु के बाद आवेदकिा को उक्त विवादित भूमि प्रापत हुई। उक्त विवादित भूमि आवेदका के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जिसकी आवेदिका रिर्कोडेड भूमि स्वामी हैं आवेदिका काफी वृद्व महिला हैं जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष है जिसे आंखें से कुभी दिखाई नहीं देता है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदिका का पति उसको इलाज के बहाने सबलगढ अस्पताल लेकर आये और उसे बगैर बताये किसी कागज पर धोखे से निशानी अगूंठा लगवा लिया और विवादित भूमि का विकयनामा फर्जी रूप से अनावेदिका के हित में संपादित करा लिया गया, जबकि आवेदिका द्वारा अनावेदिका के हित कोई विकयनामा संपादित नहीं किया गया है। आवेदिका अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर विधिवत सुनवाई कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह निरस्त करने में वैधानिक भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदिका की निगरानी स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.3.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि पटवारी ग्राम सराय की नामांतरण पंजी कमांक 7 दिनांक 20.8.15 से केता अनावेदक श्रीमती बैजन्ती पत्नि टुण्डा रावत निवासी सराय ने विकेता आवेदक मु0 सोठी उंर्फ सोनो बेवा बनवारी रावत निवासी सराय में स्थित सर्वे कमांक किता 13 कुल रकवा 2.73 हैक्टेयर में से अपने हिस्से 1/9 की संपूर्ण भूमि 0.303 आरे कय की है। विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पर सोठो उर्फ सोनो द्वारा आपत्ति किये जाने से विबादित होकर न्यायालय तहसीलदार सबलगढ जिलस मुरैना के यहां

प्रस्तुत की गई। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि माननीय प्रथम व्यवहार वर्ग–02 सबलगढ जिला मुरैना म0 प्र0 द्वारा सिविल प्रकरण कमांक 115ए/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.10.16 द्वारा आवेदिका का स्वत्व एवं घोषणा पत्र का दावा निरस्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होता है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार तहसील सबलगढ जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21.3.16 स्थिर रखा जाता है, तथा तहसीलदार तहसील सबलगढ जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि माननीय प्रथम व्यवहार वर्ग–02 सबलगढ जिला मुरैना द्वारा सिविल प्रकरण कमांक 115ए/2015 में पारित आदेश 27.10.16 के पालन में कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर